भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1420

09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दाल और तिलहन खरीदने संबंधी योजना

1420. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्री गिरिधारी यादवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने चार राज्यों से दाल और तिलहन खरीदने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की खरीफ 2025-26 मौसम के दौरान बिहार से दाल खरीदने की कोई योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि बिहार में दाल उगाने वाले किसान विशेषकर ताल क्षेत्र के किसान अपनी दाल की उपज के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश भर में न्यूनतम समर्थन योजना (एमएसपी) पर दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) कार्यान्वित करती है।

पीएसएस को अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर निर्धारित अवधि के भीतर खरीद के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जब इन वस्तुओं का बाजार मूल्य अधिकतम कटाई अवधि के दौरान अधिसूचित एमएसपी से नीचे गिर जाता है, ताकि पूर्व-पंजीकृत किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। अधिसूचित दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो खरीदी गई वस्तुओं को मंडी कर से छूट देने तथा योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अपेक्षित बोरियों, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी, पीएसएस परिचालनों के लिए परिक्रामी निधि के सृजन आदि सहित लॉजिस्टिक व्यवस्था में केंद्रीय नोडल एजेंसियों की सहायता करने के लिए सहमत होती है। केंद्र सरकार द्वारा खरीद की कुल मात्रा, किसी विशेष मौसम के लिए विशिष्ट दलहन, तिलहन और खोपरा के अखिल भारतीय उत्पादन के 25% तक सीमित होगी। प्रारंभ में, पीएसएस के अंतर्गत राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक खरीद की अनुमति दी जाएगी। तथापि, वस्तु के अखिल भारतीय उत्पादन के 25% की सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब किसी राज्य में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एजेंसियों द्वारा उस वस्तु के राज्य उत्पादन के 25% की खरीद पूरी हो जाए। राष्ट्रीय उत्पादन पर आधारित अतिरिक्त मात्रा की जाँच की जाएगी और सचिवों की समिति (सीओएस) के अनुमोदन से अनुमति दी जाएगी।

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत वर्ष 2030-31 तक, तुर, उड़द और मसूर की खरीद पूर्व-पंजीकृत किसानों से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी मात्रा के अनुसार केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जायगी।
